न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 92/2024
दायर दिनांक :— 14.06.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/290
निर्णय दिनांक :— 27.03.2025

1. हड़मानराम पुत्र तेजाराम जाति बिश्नोई निवासी खेतनगर तहसील सेखाला जिला जोधपुर
2. भंवरीदेवी पत्नी हड़मानराम जाति बिश्नोई निवासी खेतनगर तहसील सेखाला जिला जोधपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. देवाराम पुत्र फतुराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुमेरसिंह पुत्र पूंजराजसिंह जाति राजपूत निवासी भीवजी का गांव तह. बाप जिला फलोदी
4. गायड़सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
5. किशनाराम पुत्र करनाराम जाति बेलदार निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
6. नरपतराम पुत्र करनारमा जाति बेलदार निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
7. हुकमाराम पुत्र करनाराम जाति बेलदार निवासी बगतावरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
8. अज्योर पावर थर्टीवन प्रा. लि. 301—304, 307 वर्ल्डमार्क—3 ऐरोसिटी नई दिल्ली
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अप्रार्थी सं. 4

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर ग्राम बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 16.06.2022 को जारी आदेश कम संख्या 525 की पालना में दिनांक 21.11.2022 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 21.11.2022 को हल्का पटवारी द्वारा

27/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 21.11.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 09 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व 5 ता 8 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने भी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के खसरान की मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर पत्थरगढी की जावे तो कोई ऐतराज नहीं है।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए वादग्रस्त भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर पत्थरगढी की जानी उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बगतावरनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 220/3 रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर पत्थर गडढी पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)